आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड,
8–ए, बंगाली लाईब्रेरी रोड़, देहरादून ।

मैनुअल – तेरह
[सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–4(1)(ख)(xiii)]

अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ

रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं के सम्बन्ध में विवरण

रियायतों के प्रकरण में उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिये रियाती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की योजना का संचालन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इन योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों का विवरण मैनुअल–12 में दिया गया है। इन योजनाओं की विशिष्टियां निम्नवत हैं :–

1. <u>बी0पी0एल0 योजना</u>

अ– बी0पी0एल0 परिवारों को Subsidized Rate पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्राविधान है।

ब– उत्तराखण्ड राज्य में बी0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत **4,98,000 बी0पी0एल0 परिवारों** का चयन किया गया है, जिसमें अन्त्योदय परिवार भी सम्मिलित हैं।

स– इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवारों को **सफेद रंग** का राशन कार्ड निर्गत किया जाता है, जिसके लिये पात्र व्यक्तियों द्वारा नगरीय क्षेत्रों में आपूर्ति कार्यालय से एवँ ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लाक कार्यालय से निशुल्क फार्म प्राप्त किया जा सकता है।

द– इस योजना के अन्तर्गत प्रति राशन कार्ड (प्रति परिवार) **35 किलो ग्राम** खाद्यान्न प्रति माह पात्र परिवारों को उपलब्ध कराया जाता है।

य– राज्य के हरिद्वार जनपद को छोड़कर अन्य जनपदों में प्रति राशन कार्ड **24.750 किलो ग्राम चावल** एवम् **10.250 किलो ग्राम गेहूँ** उपलब्ध कराया जाता है। **हरिद्वार जनपद** में **12.140 किलो ग्राम चावल** तथा **22.860 किलो ग्राम गेहूँ** उपलब्ध कराया जाता है।

र– इस योजना के अन्तर्गत पात्र परिवारों को **` 6.15 प्रति किलो ग्राम चावल** एवँ **` 4.65 प्रति किलो ग्राम गेहूँ** उपलब्ध कराया जाता है।

ल– राज्य सरकार द्वारा माह फरवरी, 2011 से बी0पी0एल0 परिवारों को **` 3.00 प्रति किलो ग्राम चावल** एवम् **` 2.00 प्रति किलो ग्राम गेहूँ** उपलब्ध कराया जा रहा है।

2. अन्त्योदय अन्न योजना

अ– इस योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय परिवारों को **गुलाबी रंग** का राशन कार्ड निर्गत किया जाता है, जिसके लिये पात्र व्यक्तियों द्वारा नगरीय क्षेत्रों में आपूर्ति कार्यालय से एवँ ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लाक कार्यालय से निशुल्क फार्म प्राप्त किया जा सकता है।

ब– इस योजना के अन्तर्गत प्रति राशन कार्ड (प्रति परिवार) **35 किलो ग्राम खाद्यान्न** प्रति माह पात्र परिवारों को उपलब्ध कराया जाता है।

स– राज्य के सभी जनपदों में प्रति राशन कार्ड **24.540 किलो ग्राम चावल** एवम् **10.460 किलो ग्राम गेहूँ** उपलब्ध कराया जाता है।

द– इस योजना के अन्तर्गत पात्र परिवारों को ` 3.00 प्रति किलो ग्राम चावल एवम् ` 2.00 प्रति किलो ग्राम गेहूँ उपलब्ध कराया जाता है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी अनुज्ञापत्र/प्राधिकार पत्र

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा निम्न लाइसेंस/अनुज्ञापत्र जारी किये जा रहे हैं :–

- डीजल विक्रेता लाईसेंस
- सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का लाइसेंस

उपरोक्त लाईसेंस जिला स्तर पर जारी किये जाते है। उत्तराखण्ड में पैट्रोल पम्प/डीजल/ मिट्टी तेल/ एल0पी0जी0 गैस के विक्रेताओं की सूची इस मैनुअल के साथ संलग्न है।

******